पंचायत कल्याण कोष आवेदन की प्रक्रियाः—

(1) पंचायत प्रतिनिधि के आश्रित व्यक्ति द्वारा कल्याण कोष में अनुमन्य धनराशि प्राप्त करने हेतु पंचायतीराज विभाग के वित्त आयोग की वेबसाइट prdfinance.up.gov.in पर विकसित पंचायत कल्याण कोष पोर्टल पर सीधे आवेदन किया जायेगा।

(2) पंचायत प्रतिनिधि के आश्रित द्वारा पंचायत कल्याण कोष के निर्धारित पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते हुए आवेदन प्रपत्र पर समस्त सूचनाएं अंकित करके आवश्यक अभिलेख अपलोड करने के उपरान्त विवरण फ्रीज किया जायेगा।

(3) पोर्टल पर आश्रित व्यक्ति द्वारा किये गये आवेदन को जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा अपने लॉगिंन आई0डी0 से डाउनलोड कर परीक्षणोंपरान्त पत्रावली पर जिलाधिकारी से अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

(4) जिलाधिकारी के स्वीकृत के उपरान्त जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आवेदन प्रपत्र को अपने लॉगिंन आई0डी0 से निदेशक पंचायतीराज को धनराशि हस्तान्तरण हेतु अग्रसारित किया जायेगा।

5— धनराशि प्राप्त हेतु आवेदन के साथ अपलोड किये जाने वाले आवश्यक अभिलेखः—

(1) पंचायत प्रतिनिधि के आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में पंचनामा/पोस्टमार्टम की रिपोर्ट/रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसनर द्वारा जारी प्रमाण—पत्र, की प्रति।

(2) प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में सक्षम स्तर से निर्गत मृत्यु प्रमाण—पत्र।

(3) ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सदस्य के मृत्यु की स्थिति में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रमाण—पत्र, क्षेत्र प्रमुख/क्षेत्र पंचायत सदस्य मृत्यु की स्थिति में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रमाण—पत्र एवं जिला पंचायत अध्यक्ष/जिला पंचायत सदस्य के मृत्यु की स्थिति में अपर मुख्य अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण—पत्र।